

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1/ निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
लखनऊ।



चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 09 नवम्बर, 2016

विषय:- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा घोषित हड़ताल के सम्बन्ध में आज दिनांक-09.11.2016 को पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि पी0आई0एल0 संख्या-26947/2016 के अन्तर्गत आज दिनांक-09.11.2016 को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश अत्याश्रयक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अपराह्न-02.00 बजे तक अस्पताल में नर्सिंग एवं अन्य सेवाओं को पूर्ववत् नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा हड़ताली संगठन के अध्यक्ष श्रीमती सीमा शुक्ला को अपराह्न-02.00 बजे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

2- कृपया उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु उत्तर प्रदेश अत्याश्रयक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की छायाप्रति तथा दिनांक-12.9.2016 को इस अधिनियम के अन्तर्गत हड़ताल निषिद्धिकरण के सम्बन्ध में अधिसूचना संलग्न की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।



भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/71-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

CMS/JD(A) / Govt CL



16/11/2016
DIRECTOR
S.G.P.G.I.M.S., Lko.

आज्ञा से,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

SR-A-0(L) 9 m Parindra
Agerwal
1 For
website purpose
21/11/16

